

28/10/22

पत्रावली पेश हुई। वादीनी स्वयं उप: होठर आर्चना पत्र वाले
पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया
कि पत्रावली आज पेशी लारीख पर ली जावे। वादीनी
की ठे आर्चना पत्र पर पत्रावली आज पेशी लारीख
पर ली गई। वादीनी ने आर्चना पत्र वाले राजस्व वाद
विज्ञे करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि मेरे नाम से
डिली ने वाद प्रस्तुत किया है जबकि मैंने कभी भी वाद प्रस्तुत
करने हेतु कोई अंगुष्ठ निशान नहीं दिया तथा न ही
किसी नियुक्त किया था। कुछ माह पूर्व मेरे जपेशा जॉर्जि राणा खां
पुत्र सीमा खां निवाली कुन्दनपुरा मेरे पास आया और मुझे श्रावण सुरसा



निष्कर्ष



व पैमाने के अंगुल नंबर करने हेतु मेरा
 पत्ताना पत्र, आधार कार्ड व कुछ अंगुल पर
 अंगुल निगान करवाकर लेकर गया था और शगा
 रवा ने मेरे अंगुल निगान वाले अंगुल से
 मेरे पिता की जमीन में दावा जलाल खीले से
 करीब अठार पेटा करवा दिया जबकि मैंने अभी
 भी दावा हेतु कोई अंगुल नहीं दिये पत्ताना
 की मुझे मेरे पिता शमीशा की जूमि में कोई हक
 हिल्ला चाहिये व्यक्ति मैं ग्राम कुन्दनपुरा के खेत
 खसरा न. 391 व ग्राम मोक्षी का तला के खेत
 खसरा नम्बर 251 में मेरे पिता शमीशा फौज
 होने पर विरासत में नामान्तरण के कबल मेरे
 कोई अखबार से मेरे हिल्ले की जूमि के बदले
 प्रतिफल प्राप्त करके कोई को दे दी थी जिस पर
 मेरा कोई हक हिल्ला नहीं है अतलिये मेरे
 नाम से विवादाधीन उक्त वाद को मैं जरिये
 विद्वो करवाना चाहती हूँ।

वादीनी द्वारा उत्तुल अर्चना पत्र जो न्यायसि
 में लीजान किया जाता है। उक्त अनवान के
 वाद को जरिये शमीनामा विद्वो फरमाया जाता है
 पडावकी फैसल कुमार लेकर दारिखल कफर
 हो गइया से कुम हो।

(Signature)